सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः– 09/2018 दायर दिनाँक 02.08.2018

आवेदक		अनावेदकगण
1. भागोतीदेवी पत्नी सेवाराम, उम्र–50साल, जाति–जाट, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. भँवरलाल पुत्र मांगीलाल, 2. कैलाश पुत्र मांगीलाल, 3. धनराज पुत्र मांगीलाल, 4. गिरधारीलाल पुत्र मांगीलाल, 5. पप्पुलाल पुत्र मांगीलाल, 6. पवनकुमार पुत्र मांगीलाल, 7. जेठीदेवी पत्नी मांगीलाल, समस्त,जाति–खाती, निवासी–खरेश, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. रा.भू.वि.बैंक, शाखा–डीडवाना, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 9. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

प्रार्थना–पत्र

अन्तर्गत धारा 251 ए(1) R.T. Act.

उपस्थितः–

1. श्री मोहम्मद शरीफ शेरानी, अधिवक्ता, आवेदकगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 22.02.2019

प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि, आवेदक उपखण्ड डीडवाना में ग्राम खरेश में स्थित खेत खसरा नम्बर 208 रकबा 19.00 बीघा के खातेदार हैं। उक्त खसरा की भूमि में पहुँचने हेतु कोई रास्ता नहीं है जिस हेतु नये रास्ते के लिए आवेदन कर रहे है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (ए) उप धारा (1) के अन्तर्गत रास्ते की अनुमति लेना चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रभावित खातेदारान को वास्ते जवाबदेही हाजिर अदालत होने के लिए जरिये सम्मन तलब किया गया।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 09 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से जाँच व तथ्यात्मक रिपॉर्ट तलब की गयी। तहसीलदार डीडवाना द्वारा पत्रांक 716 दिनाँक 15.02.2019 के द्वारा रिपॉर्ट अदालत में पेश की गयी।

तहसीलदार डीडवाना अपनी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 209 में से होकर लाल स्याही से दर्शित मार्क ए बी की भूमि को रास्ता की भूमि प्रस्तावित किया जो कि खसरा नम्बर नम्बर 208 में आने–जाने के लिए रास्ते की भूमि होगी।

विद्वान वकील आवेदक की सारगर्भित एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीपक्ष आवेदन को स्वीकार करने की इस्तदुआ कर रहे है। अनावेदकगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बहस पर मनन किया। रेकर्ड का अवलोकन किया। शरहद खरेश के खसरा नम्बर 209 रकबा 19.00 बीघा में आवागमन हेतु नया रास्ता उपलब्ध कराए जाने की प्रार्थी मांग कर रहे हैं। काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) उपधारा (1) में संशोधन होने के बाद एक काश्तकार को उसकी भूमियों में आने–जाने के लिए निकटतम रास्ता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट व उपलब्ध अभिलेख के अनुसार आवेदक की भूमि में आने–जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं है। कृषि भूमि में आवागमन के लिए प्रार्थी को रास्ता की नितान्त आवश्यकता है। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के साथ पेश हुई नजरी नक्शा के मुताबिक लाल स्याही से मार्क ए बी भूमि को रास्ते के लिए प्रस्तावित किया है जो कि खसरा सं0 208 के नजदीकी रास्ता लगता है। तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट पर न्यायालय सहमत है तथा रिपॉर्ट मुताबिक व प्रस्तावित रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः उपलब्ध साक्ष्यों, तहसीलदार डीडवाना की रिपॉर्ट के परिपेक्ष में प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर इनकी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 208 रकबा 19.00 बीघा वाके सरहद खरेश में आवागमन हेतु तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट क्रमांक 716 दिनाँक 15.02.2019 के

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या–09 / 2018
दायर दिनाँक 02.08.2018 निर्णय दिनाँक 22.02.2019
भागोतीदेवी बनाम् भँवरलाल, वगैरा।

संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित मार्क ए बी भूमि को रास्ता की भूमि घोषित की जाती है। तहसीलदार डीडवाना राजस्व रेकर्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट क्रमांक 716 दिनाँक 15.02.2019, निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा। रास्ता में गयी भूमि की कीमत का आंकलन वर्तमान डी0एल0सी0 दर से नियमानुसार आंकलन कर प्रभावित खातेदारान् को भूगतान की कार्यवाही तहसीलदार डीडवाना करावें।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **22.02.2019** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner